अध्याय 3

लेखापरीक्षा की परिधि और विस्तार

12. लेखापरीक्षा के परिधि और विस्तार के अवधारण के लिए प्राधिकार

अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा की परिधि और विस्तार का अवधारण नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा किया जाएगा।

13. लेखापरीक्षा की परिधि

(1) अपने लेखापरीक्षा अधिदेश के अन्दर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अपने द्वारा अथवा अपने ओर से की जाने वाली लेखापरीक्षा के परिधि और विस्तार का निर्णय करने के लिए एकमात्र प्राधिकारी हैं। ऐसा प्राधिकार यह सुनिश्चित करने कि लेखापरीक्षा के उद्देश्य प्राप्त हो गए हैं, से इतर किसी विचार से सीमित नहीं होता।

(2) अपने अधिदेश को प्रयोग में लाते हुए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ऐसी लेखापरीक्षा करते हैं जिन्हें सामान्य रूप से वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है जैसाकि अध्याय 5, 6 और 7 में क्रमशः उल्लेख किया गया है।

(3) लेखापरीक्षा की परिधि में लेखापरीक्षणीय सत्त्वों के आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन शामिल है। ऐसा मूल्यांकन या तो लेखापरीक्षा के एक अभिन्न घटक के रूप में या एक विशेष लेखापरीक्षा समनुदेशन के रूप में किया जा सकता है।

(4) इसके अतिरिक्त नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए और लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसी संव्यवहार, कार्यक्रम अथवा संगठन के लिए किसी अन्य लेखापरीक्षा को करने का निर्णय ले सकते हैं।

14. लेखापरीक्षा का विस्तार

लेखापरीक्षा के विस्तार का अर्थ है लेखापरीक्षा की प्रमात्रा जिसमें अवधि, लेखापरीक्षणीय सत्त्व की इकाईयां, नमूना जांच का विस्तार और लेखापरीक्षा में की जाने वाली लेखापरीक्षा पूछताछ की सीमाएं शामिल हैं।

15. विस्तृत लेखापरीक्षा को अभिमुक्त करने की शक्ति

अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, जब परिस्थितियां ऐसा उचित ठहराएं, किन्हीं लेखाओं अथवा संव्यवहारों की श्रेणी की विस्तृत लेखापरीक्षा के किसी भाग को अभिमुक्त कर सकते हैं और ऐसे लेखाओं अथवा संव्यवहारों के सम्बन्ध में ऐसी सीमित जांच, जैसी वह अवधारित करें, लागू कर सकते हैं।

16. लेखापरीक्षा का किया जाना

लेखापरीक्षा इनमें से किसी भी संदर्भ में या स्थान पर की जाएगी (क) ऐसे लेखाओं, वाऊचरों और अभिलेखों के संदर्भ में जो लेखापरीक्षा कार्यालय में और/अथवा लेखा कार्यालय में प्राप्त हुए हों और इनमें लेखापरीक्षणीय सत्त्व के आनलाईन आंकडें, सूचना और दस्तावेज शामिल हो सकते हैं; और (ख) लेखापरीक्षणीय सत्त्व के कार्यालय में अथवा उस स्थल पर जहां लेखापरीक्षा के लिए सुसंगत अभिलेख उपलब्ध हों अथवा ऐसे स्थान पर जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा निश्चित किया जाए।

17. विशेष लेखापरीक्षा के लिए अनुरोध

(1) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अथवा इस प्रकार प्राधिकृत कोई अधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किसी कार्यक्रम, परियोजना अथवा संगठन की विशेष लेखापरीक्षा के लिए अनुरोध पर उचित ध्यान दिया जाएगा बशर्ते कि ऐसा प्रत्येक अनुरोधः

(क) सम्बधित विभाग के सरकार के सचिव के अनुमोदन से किया जाए;

(ख) उन औचित्य और कारणों का उल्लेख करेगा जिनसे विशेष लेखापरीक्षा की आवश्यकता अनुभव हुई, इसमें किसी प्रारम्भिक जांच, पूछताछ अथवा अध्ययन, जो पहले की गई हो, के परिणाम शामिल होंगे; और

(ग) विशेष लेखापरीक्षा में कवर की जाने वाली अवधि निर्दिष्ट करे।

(2) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अथवा इस प्रकार प्राधिकृत किसी अधिकारी का विशेष लेखापरीक्षा के संबंध में निर्णय अंतिम होगा।

18. विशेष लेखापरीक्षा के परिणामों की रिपोर्टिंग

(1) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) सम्बन्धित विभाग के सरकार के सचिव को विशेष लेखापरीक्षा के परिणाम सूचित करेंगे और राज्य अथवा विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के मामले में ये परिणाम सरकार के सचिव, वित्त विभाग को भी सूचित करेंगे।

(2) किसी ऐसी विशेष लेखापरीक्षा के परिणामों को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को संसूचित करने और अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उनको शामिल करने का अधिकार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास सुरक्षित है।